



The Delhi Prevention of Touting and Malpractices Against Tourists Act, 2010

Act 2 of 2011

Keyword(s):

Commissioner of Police, Malpractice, Touting, Tourist

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]
No. 29]

दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2011/माघ 26, 1932
DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2011/MAGHA 26, 1932

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 276
[N.C.T.D. No. 276

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 फरवरी, 2011

सं. फा. 14(23)/एलए-2008/LAW/32.—विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने राष्ट्रपति की सहमति दिनांक 17 जनवरी, 2011 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जनसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

“दिल्ली पर्यटकों के प्रति दलाली तथा कदाचार निवारण अधिनियम, 2010

(2011 का दिल्ली अधिनियम 02)

(01 दिसम्बर, 2010 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के भ्रमणार्थी पर्यटकों के प्रति दलाली तथा कदाचार और उसे उकसाने या इसके प्रयास की रोकथाम तथा इस विषय से संबंधित या आनुषंगिक मामलों में प्रावधान के लिए अधिनियम।

(17 जनवरी, 2011)

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

भाग-I

प्रारंभ

1. संक्षिप्त, नाम, विस्तार एवं प्रारंभ . — (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली पर्यटकों के प्रति दलाली तथा कदाचार निवारण अधिनियम, 2010 है।
 - (2) इसका विस्तार समस्त दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर है।
 - (3) यह पहली अक्टूबर, 2010 से प्रभावी मान लिया जायेगा।
2. परिभाषाएं .— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
 - (क) "पुलिस आयुक्त" का अर्थ है दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 6 के अधीन नियुक्त दिल्ली पुलिस का आयुक्त;
 - (ख) "दिल्ली" का अर्थ है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से है;
 - (ग) "सरकार" का अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अनुच्छेद 239कक के अन्तर्गत यथापदनामित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल से है;
 - (घ) "कदाचार" में बेईमानी, धोखाधड़ी, छद्मवेश तथा इच्छानुसार खरीदारी करने या ठहरने या यात्रा में व्यवधान डालना, शामिल है;
 - (ङ) "पर्यटक" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें तीर्थयात्री भी शामिल है, जो भारत के किसी भाग या भारत के बाहर से दिल्ली में भ्रमणार्थ आते हैं;
 - (च) "दलाली" में प्रलोभन, भ्रमित करना या खरीदारी, आवास, परिवहन, स्थान भ्रमण के लिए बाध्य करना या व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी विशेष परिसर, जिसमें उसका अहाता भी शामिल है, किसी व्यक्ति, स्थापना, व्यापारी या विनिर्माता के विषय में परेशान करना।

स्पष्टीकरण .— यदि कोई व्यक्ति हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, मार्केट या पर्यटकों के आवगमन के स्थानों के आसपास पर्यटकों को अवांछित सेवाएं प्रदान करने या परेशान करने या किसी सेवा का प्रयोग करने के लिए बाध्य करने के इरादे से घूमता है तथा ऐसा इरादा प्रकट करने के लिए ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करता है (जैसे पीछा करना, बहस करना, पर्यटकों का शब्दों या इशारों या प्लेकार्डों या पेम्पलेट से ध्यान आकर्षित करता है जिससे पर्यटकों या सामान्य

जनता को रूकावट पैदा होती है या चिढ़ होती है) तथा उक्त स्थान पर घूमने का कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं देता है, उसे दलाली कार्य का अपराधी माना जायेगा।

- (2) ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियाँ, जो यहां प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं हैं, परन्तु भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में परिभाषित हैं उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उक्त संहिता में दिये गये हैं।

भाग-II

अपराध एवं अर्थदंड

3. कदाचार तथा दलाली आदि का निषेध .— कोई व्यक्ति —

- (क) किसी पर्यटक के प्रति दलाली या कदाचार नहीं करेगा;
- (ख) किसी पर्यटक के प्रति दलाली या कदाचार को प्रोत्साहित नहीं करेगा;
- (ग) किसी पर्यटक के प्रति दलाली या कदाचार का प्रयास नहीं करेगा।

4. किसी व्यक्ति को दंड, जो —

- (क) दलाली या कदाचार करता है उसे एक वर्ष तक कैद या दस हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं;
- (ख) इस अधिनियम के अंतर्गत दलाली या कदाचार को बढ़ावा देता है, तो भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में कुछ भी रहते हुए, उसको छह महीने की कैद या पाँच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं;
- (ग) इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध करने का प्रयास करता है उसको तीन महीने की कैद या दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं;

5. अपराध संज्ञेय तथा जमानती होगा .- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ रहते हुए इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय तथा जमानती होंगे।

भाग-III

पुलिस अधिकारियों की शक्तियों तथा अपराध की त्वरित जाँच तथा मुकदमें की प्रक्रिया

6. गिरफ्तारी, तलाशी तथा जब्ती का अधिकार .- (1) यदि कोई कदाचार अथवा दलाली का अपराध ऐसे पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में होता है जो पुलिस के किसी सहायक उप-निरीक्षक से कम पद का न हों, तो ऐसा पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है तथा उस व्यक्ति के ऐसे व्यवहार के विषय में जिससे दलाली का अपराध बना हो, अपनी राय को अभिलेखबद्ध कर सकता है।
- (2) कोई पुलिस अधिकारी जिसके पास किसी पर्यटक के प्रति दलाली किये जाने या कदाचार के कार्य में लिप्त किसी व्यक्ति के बारे में सन्देह करने का कारण हो, तो वह ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है तथा उसके पास से प्राप्त किसी वस्तु के संबंध में पूछताछ कर सकता है तथा ऐसी वस्तु को जब्त कर सकता है यदि वह सन्देहास्पद हो तथा इस प्रकार की हो जो किसी पर्यटक के विरुद्ध कदाचार अथवा दलाली करने के लिए प्रयुक्त की जा सके।
- (3) कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस सहायक उप-निरीक्षक से कम पद का न हो, ऐसे सार्वजनिक अथवा निजी संस्थापना में प्रवेश कर सकता है जिसका प्रयोग, उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण से, पर्यटकों के विरुद्ध कदाचार या दलाली करने के स्थान के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था अथवा किया जा रहा है, और वह उसका निरीक्षण कर सकता है।
7. पर्यटकों के आवागमन के सार्वजनिक स्थलों पर उपद्रव करने वाले संदिग्ध दलालों अथवा व्यक्तियों को हटाना .- यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति पर सन्देह होता

का 2) में कुछ

है जो कदाचार में लिप्त है अथवा दलाली कर रहा है अथवा पर्यटकों के आवागमन के सार्वजनिक स्थल में किसी अन्य प्रकार से उपद्रव कर रहा है, तो वह ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान से तुरन्त हटाने का निदेश देगा।

की प्रक्रिया

8. पुलिस अधिकारियों के उचित निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति .- (1) सभी व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्यों का निर्वहन करने वाले किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए उचित निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

दलाली का

की सहायक

गिरफ्तार

ग अपराध

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं निदेशों का पालन करने से मना करता है या पालन नहीं करता है या उसका विरोध करता है, तो पुलिस अधिकारी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कर सकता है अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को हटा सकता है तथा उसे महानगर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है अथवा हल्के मामलों में उसे छोड़ सकता है, जब ऐसा मौका हो, जो उसे छोड़े जाने के लिए अनिवार्य हो:

कदाचार

व्यक्ति

कर

कार

जा

उपबंध है कि इस प्रकार हटाये गये व्यक्ति को, समस्त मामलों में, ऐसे हटाये जाने के चौबीस घंटे के भीतर महानगर दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या रिहा किया जाएगा, जैसी भी स्थिति हो।

9. अपराधों की जाँच इत्यादि .-(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन जाँच, पूछताछ तथा विचारण के उद्देश्यों के लिए लागू होंगे:

उपबंध है कि जाँच अधिकारी तीस दिनों के अन्दर जाँच पूरी करने का प्रयास करेगा तथा पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए शक्ति प्राप्त मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

617 DG/11-2

- (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए स उप-निरीक्षक से कम पद का कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अ की जाँच नहीं करेगा।
10. अपराधों का संज्ञान एवं मुकदमा .- किसी महानगर दण्डाधिकारी से कम कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर मुकदमा नहीं चलाएगा।
11. मामलों पर संक्षिप्त रूप से मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय की शक्ति .-(1) अधिनियम के अधीन समस्त अपराधों पर महानगर दण्डाधिकारी द्वारा संक्षिप्त रूप मुकदमा चलाया जाएगा तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 262 265 (दोनों सम्मिलित) के उपबंध यथासंभव ऐसे मुकदमों पर लागू होंगे।
- (2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध पर मुकदमा चलाने के लिए दंडाधिकारी किसी अन्य अपराध पर भी मुकदमा चला सकता है जिसके साथ किसी व्यक्ति को ऐसे मुकदमें में आरोपित किया गया हो, यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध अथवा अपराधों से संबंधित हो।
12. दलाली अथवा कदाचार के कार्यों में बार-बार संलिप्त व्यक्ति को हटाना .- पुलिस आयुक्त या अन्य पुलिस अधिकारी जो पुलिस आयुक्त द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया उपायुक्त पुलिस से कम पद का न हो उसे किसी व्यक्ति को ऐसा घोषित करने की शक्ति होगी जो आदतन अथवा बार-बार इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय गतिविधियों में सम्मिलित हो रहा हो तो उसे दिल्ली से बाहर अथवा उसके किसी भाग से उस अवधि के लिए बाहर करने की शक्ति होगी जो अवधि छह माह से कम नहीं होगी लेकिन उसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 47 से 56 के उपबंध उस सीमा तक लागू होंगे जो सुसंगत अथवा आवश्यक हो।
13. अपराधों का शमन .- (1) धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर अभियोजन चलाने से पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे अधिकारियों अथवा प्राधिकारियों द्वारा तथा सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट राशि द्वारा अपराध का शमन होगा।

- (2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का शमन किया गया हो, अपराधी यदि अभिरक्षा में है तो उसे छोड़ दिया जाएगा तथा ऐसे अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगामी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

14. अपराध दंड सौदा .— इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस न्यायालय में अपराध दंड सौदा के लिए आवेदन कर सकता जिस न्यायालय में ऐसा अपराध मुकदमे के लिए लंबित है तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय XXI-ए के उपबंध इस संबंध में लागू होंगे।

अध्याय -IV

विविध

15. सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण .— कोई भी ऐसा वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही सरकार अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध किसी भी कार्य के लिए नहीं होंगे जो कि सद्भावनापूर्वक किए गए हों अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके किए जाने का आशय हो।
16. अधिनियम द्वारा किसी अन्य विधि का अल्पीकरण न करना .— इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।
17. नियम बनाने की शक्ति .— (1) सरकार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं विषयों के लिये उपबंध हो सकेगा, अर्थात् :-
- (क) पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए शक्ति प्राप्त किसी दंडाधिकारी को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन पुलिस रिपोर्ट भेजने के लिए प्रपत्र का प्रारूप;
- (ख) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।
- (3) सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र दिल्ली विधानसभा के सत्र के तीस दिनों के अन्तर्गत चाहे वह एक दो या इससे

किसी
में में

त

—(1) इस
रूप से
262 से

किसी भी

होते हुए सहाय
अधीन अपराध

अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अवधि के अन्तर्गत यदि सदन नियम में किसी प्रकार का संशोधन करने के लिए होता है या इसके लिए सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तो संशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, जैसी भी स्थिति हो, तथ संशोधन या निरसन का उक्त नियम के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वै प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. 2010 के दिल्ली अध्यादेश, संख्या 01 का निरसन तथा बचाव .— (1) दिल्ली पर्यटकों दलाती लेने तथा कदाचार रोकथाम अध्यादेश, 2010 (2010 का दिल्ली अध्यादेश 1) इ द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन में कुछ भी रहते हुए उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत कुछ भी किया गया या की गई कार्रवाई इस अधिनियम के सम्बद्ध उपबंधों के अन्तर्गत किया गया या की गयी मान लिया जाएगा।”

तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 15th February, 2011

No. F. 14(23)/LA-2008/LAW/32.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on the 17th January, 2011, and is hereby published for general information :—

**“THE DELHI PREVENTION OF TOUTING AND MALPRACTICES
AGAINST TOURISTS ACT, 2010
(DELHI ACT 02 OF 2011)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi the 1st December, 2010)

[17th January, 2011]

An Act to make provision for the prevention of acts of touting and malpractices vis-à-vis tourists visiting the National Capital Territory of Delhi and abetment or attempt thereof, any person in the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

PART - I
PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) This Act may be called the Delhi Prevention of Touting and Malpractices against Tourists Act, 2010.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 2010.

2. **Definitions.** - (1) In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "Commissioner of Police" means the Commissioner of Delhi Police appointed under section 6 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978);

(b) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;

(c) "Government" means the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239AA of the Constitution;

(d) "malpractice" includes dishonesty, cheating, impersonation and obstruction in allowing free choice for shopping or stay or travel arrangements;

(e) "tourist" means any person or group of persons including pilgrims who visits or visit Delhi from any part of India or outside India;

(f) "touting" includes enticing, misguiding or coercing for shopping, accommodation, transportation, sight-seeing or pestering for any particular premises, including the precincts thereof, any person, establishment, dealer or manufacturer for personal consideration;

Explanation. - Whoever loiters around airports, railway stations, bus stands, markets or any other places frequented by tourists with the intention of offering any unsolicited service to the tourist or pestering or coercing him to use any such service and exhibits such conduct so as to show such intention (like following, arguing,

617 DG/11-3

communicating or otherwise drawing attention of tourists through words or gestures or placards or pamphlets thereby causing obstruction or annoyance to tourists or general public) and otherwise has no reasonable explanation for frequenting the said place will be deemed to have committed the act of touting.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) shall have the meanings respectively assigned to them in the said Code.

PART II

OFFENCES AND PENALTIES

3. **Prohibition of malpractice and touting, etc.-** No person shall -
 - (a) commit any act of touting or malpractice against any tourist ;
 - (b) abet commission of any act of touting or malpractice against any tourist ;
 - (c) attempt to commit any act of touting or malpractice against any tourist.
4. **Penalties.-** Any person who -
 - (a) touts or commits malpractice shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both;
 - (b) abets an offence of touting or malpractice under this Act, shall, notwithstanding anything contained in the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), be punished with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
 - (c) attempts to commit an offence punishable under this Act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.
5. **Offences to be cognizable and bailable.-** Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the offences under this Act shall be cognizable and bailable.

PART III

POWERS OF POLICE OFFICERS AND PROCEDURE FOR SPEEDY INVESTIGATION AND TRIAL OF OFFENCES

6. **Powers of arrest, search and seizure.**— (1) If an offence of malpractice or touting takes place in the presence of a police officer, not below the rank of an assistant sub-inspector of police, such police officer may arrest the person and record his observations about such conduct of the individual that constituted the offence of touting.
- (2) Any police officer having reason to suspect a person of indulging in the act of touting or malpractice against a tourist may search such person and may require an account in relation to any articles found in his possession and may seize such article if found suspicious and of such nature which could be used for commission of touting or malpractice against tourists.
- (3) A police officer not below the rank of an assistant sub-inspector of Police, may enter a public or private establishment which he has reason to believe was or is being used as a place for commission of touting or malpractice against tourists and inspect the same.
7. **Removal of suspected touts or persons causing nuisance from public places frequented by tourists.**— If a police officer suspects any person of indulging in malpractice or touting or otherwise causing nuisance in a public place frequented by tourists, he may direct such person to remove himself from the said place forthwith.
8. **Persons bound to comply with the reasonable directions of police officers.**— (1) All persons shall be bound to comply with the reasonable

directions given by a police officer in the discharge of his duties under this Act.

(2) Where any person resists, refuses or fails to comply with any direction referred to in sub-section (1), a police officer may, without prejudice to any other action that he may take under any other provision of this Act or any other law for the time being in force, remove such person and either produce him before a Metropolitan Magistrate or, in trivial cases, release him when the occasion which necessitated the removal has ceased to exist:

Provided that the persons so removed shall, in all cases, be produced before the Metropolitan Magistrate or released, as the case may be, within a period of twenty-four hours of such removal.

9. **Investigation, etc. of offences.**— (1) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall be applicable for the purposes of investigation, inquiry and trial of offences under this Act:

Provided that the investigating officer shall make endeavours to complete the investigation within a period of thirty days and the officer-in-charge of the police station shall forward to the Magistrate, empowered to take cognizance of the offence on a police report, a report in the form prescribed by the Government.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973(2 of 1974), no police officer below the rank of an assistant sub-inspector shall investigate an offence under this Act.

10. **Cognizance and trial of offences.**— No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate shall try any offence under this Act.

[PART]

under this

11. **Power of court to try cases summarily.**— (1) All offences under this Act shall be tried summarily by a Metropolitan Magistrate and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, as far as may be, apply to such trial.

direction

to any

or any

produce

in the

(2) When trying any offence under this Act, the Magistrate may also try any other offence with which a person may be charged in the same trial if the offence is connected with such other offence or offences.

iced

n a

12. **Removal of persons repeatedly involved in acts of touting or malpractice.**— The Commissioner of Police or any police officer not below the rank of a deputy commissioner of police, authorized in this behalf by general or special order by the Commissioner of Police, shall have power to declare any person who is habitually or repeatedly involved in the activities punishable under this Act, out of bounds from Delhi, or any part thereof, for a period which shall not be less than six months but may extend to one year and the provisions of sections 47 to 56 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978) shall apply to the extent they are relevant or necessary.

13. **Composition of offences.**— (1) Any offence punishable under section 4 may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such amount as the Government may, by notification in the official Gazette, specify in this behalf.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceeding shall be taken against him in respect of such offence.

617 DG/11-4

14. **Plea bargaining.**- A person accused of an offence under this Act may file an application for plea bargaining in the Court in which such offence is pending for trial and the provisions of Chapter XXI-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (3 of 1974) shall be applicable in this regard.

PART IV MISCELLANEOUS

15. **Protection of action taken in good faith.**- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any person or officer authorized by the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

16. **Act not in derogation of any other law.**- The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

17. **Power to make rules.**- (1) The Government may, by notification published in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

- (a) prescription of the form for forwarding a police report under sub-section (1) of section 9 to the Magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report;

PART IV]

(b) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made by the Government under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and, if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

18. **Repeal of Delhi Ordinance 1 of 2010 and saving.**-(1) The Delhi prevention of Touting and Malpractices against Tourists Ordinance, 2010 (Delhi Ordinance 1 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act. "

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.